न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/134/2019	2019/00273	10.10.2019	18.11.2022

उनवान

1. शेरसिंह पुत्र फूसाराम जाति अहीर
2. वेदप्रकाश पुत्र फूसाराम जाति अहीर
3. बनेसिंह पुत्र फूसाराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम बीघाना तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार बहरोड़, जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अलवर दिनांक 27.10.2015 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

01—श्री ओमानन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 27.10.2015 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बीघाना के आराजी खसरा नम्बर 667 के 0.03 है0 किंस्म चारागाह पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बीघाना के आराजी खसरा नम्बर 667 के 0.03 है0 किंस्म चारागाह पर अवैध कब्जा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने एक माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किये जाने के आदेश फरमावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 31.03.2021 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)